झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो : -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

(i) यह अधिनियम 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017' कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) का प्रतिस्थापन**

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा घरेलु एवं गैर-घरेलु (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ की जानेवाली जलापूर्ति के लिए उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

परन्तु यह दर, जहां तक व्यवहार्य हो, जल संकर्म (वाटर वर्क्स) संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यह्रास तथा ऋण शोधन एवं अन्य प्रभार, वितरण लागत, वितरण-हानि, यदि कोई हो, सहित, सभी आच्छादित होंगे।"

यह विधेयक झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 12 अगस्त, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 12 अगस्त, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 30--50--18-8-2017